LGD Notification No. - LGD/RJ/V10/20240524105142

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

Creation of New Village

Published By

Name	Mohd.Salim Khan
Designation	Deputy Registrar Land Record
Mobile no.	9461429781
IP Address	164.100.145.30
On date	24/05/2024

Proposed By

Name	BORTDRLR
Designation	Tehsildar
Mobile no.	9461429781
IP Address	164.100.145.30
On date	24/05/2024

District Name	Karauli
Sub District Name	Sapotra
Village Name (In English)	Shyorajpura
Village Name (In Local language)	श्योराजपुरा
Village Effective Date	21/11/2022
Village Status	Inhabitant
How to Village is Formed?	New Village Created by Existing Village.

CONTRIBUTED VILLAGES LIST

Village Code	Village Name	Coverage Type
76967	Bagida	PART

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभि०) करौली

क्रमांकः– एल.आर. / एल.आर.सी. / 2022 / 1949 दिनांकः– 2/5/24

श्रीमान निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान

अजमेर

विषयः– नवीन राजस्व ग्राम का एल.जी कोड उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः– राजस्व (ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(45)राज–1 / 2022 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक अधिसूचना के द्वारा करौली जिले की तहसील सपोटरा के प0म0 बगीदा के मूल राजस्व ग्राम बगीदा में नवीन राजस्व ग्राम श्योराजपुरा का सृजन किया गया है। अतः उक्त नवीन राजस्व ग्राम श्योराजपुरा का एल.जी. कोड उपलब्ध करवाने का श्रम करावे। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रसं	वर्तमान जिला	वर्तमान तहसील	नाम मूल राजस्व ग्राम / एल.जी कोड	नाम नवीन राजस्व ग्राम (हिन्दी)	नाम नवीन राजस्व ग्राम (अंग्रेजी)	नाम जिला / तहसील जिसमें राजस्व ग्राम सृजित किया जाना है।
1	करौली	सपोटरा	बगीदा / 76967	श्योराजपुरा	SHYORAJPURA	करौली / सपोटरा

संलग्नः– उपरोक्तानुसार अधिसूचना

(पिंकी गुर्जर)
प्रभारी अधिकारी (भू–अभि0)
कलक्ट्रेट करौली

G2

L.R
7.5.24

क्रमांक : प. 9(45)राज –1/2022

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

जयपुर, दिनांक : 21-11-2022

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, करौली एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्‌द्वारा निर्देश देती है कि जिला करौली की तहसील सपोटरा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या–7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्‌पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या–9 के अनुसार होगा :–

क्र. स.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी (कि. मी.)	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	करौली / सपोटरा	बगीदा / सपोटरा	बगीदा	2320	1754.8145	श्योराजपुरा	688	524.5980	2	1230.2165

नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग–अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्राम/नवीन राजस्व ग्राम की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, करौली को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(विश्व मोहन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

Signed by Mohd.salim Khan
Date: 24-05-2024 10:51:42

L.R
1.12.22

1757
02/12/22

Record
2/12/22